

## लोको पायलट अनुदेश क्रमांक 03/2025

विषय : धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ियों का संचालन तथा शीतकालीन सावधानियाँ ।

1. यदि सेक्शन में अत्याधिक कोहरा है तथा उसके कारण गाड़ी को नियंत्रित गति से चलाना आवश्यक हो तो संबंधित स्टेशनों को व TLC को इस संबंध में अवश्य अवगत करावे ।
2. गेट मैन तथा Road user हेतु सीटी का अधिकतम उपयोग करें ।
3. मार्ग में धुंध , कोहरे का आभास होते ही लोको पायलट कंट्रोलर / स्टेशनमास्टर(अगले स्टेशन के) को तुरंत कोहरे/कुहासे के बारे में सूचित करें।
4. SR 4.08-3 के अनुसार : गाड़ियों की गति घने कोहरे एवं धुंध के मौसम में निम्नानुसार रहेंगी :-
  - a) लोकोपायलट लोड, ब्रेक पावर तथा दृश्यता के अनुसार गाड़ियों की गति नियंत्रित करेंगे ।
  - b) Absolute ब्लॉक सेक्शन वाले खण्डों में वे गाड़ी की गति को इस प्रकार नियंत्रित करेंगे ताकि वे किसी भी अवरोध के पहले रुक सकें तथा गाड़ी की गति 60 KMPH से अधिक न हो । (यदि FSD कार्यरत है तो अधिकतम 75 kmph)
  - c) ऑटो मैटिक खण्डों में गाड़ियों की गति signal aspect के अनुसार निम्नप्रकार से रहेगी :  
हरा - 60 KMPH अधिकतम ( यदि FSD कार्यरत है तो अधिकतम 75 kmph)  
दो पीला - 30 KMPH अधिकतम  
एक पीला - इतनी कम की अगले रोक सिगनल पर खड़ी कर सकें।
5. उचित मात्रा में पटाखे कैब में उपलब्ध रखें ।
6. किसी भी कारण वश सेक्शन में गाड़ी खड़े होने पर गाड़ी का नियमानुसार बचाव तुरंत करें ।
7. दृश्यता साफ न होने पर टनल तथा पुलों पर सहायक लोको पायलट द्वारा पायलटिंग करायें ।

8. हैड लाइट कमजोर होने की अवस्था में TLC को सूचित करें तथा लॉग बूक में दर्ज करें।
9. सभी रोक सिग्नलों के दो OHE mast पूर्व सिग्ना बोर्ड लगाये गये है, ताकि लोको पायलटो को कोहरे के समय द्रश्यता स्पष्ट न होने पर रोक सिग्नलों की लोकेशन का पूर्वाभास हो सके। इसे संज्ञान में रखे व कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे।
10. गाड़ी का चार्ज लेते समय वायपर्स, सैंडर्स का कार्य करना सुनिश्चित करें तथा सुखी रेत पर्याप्त मात्र में सैंडबॉक्स में भरवा लें।
11. Air dryer का कार्यरत होना सुनिश्चित करें तथा खराब होने पर TLC को सूचित करें, प्रत्येक ठराव पर moisture drain करें।
12. स्टार्लिंग प्रोन सेक्शन पर 30 KMPH या उससे कम के सतर्कता आदेश मिलने पर TLC को सहायता इंजिन हेतु पूर्व सूचना दें।
13. बैंकर तथा सहायता इंजिन के पिछले मार्कर लाइट को लाल स्थिति में रखें।

सभी लोको निरीक्षक सभी लोको कर्मचारी को counsel करे एवं अधिक से अधिक फुटप्लेट 00.00 से 5.00 बजे के बीच करें।

सभी लोको पायलट तथा सहा. लोको पायलट उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

मध्यरेल

मंडलकार्यलय

टी.आर.ओ.विभागनागपुर

सं : नाग/टीआर/ओ/संरक्षा-/CLI INST/25

दिनांक :21.01.2025

प्रतिविधि : मु.वि.इंजी (परिचालन)/सी.एम.टी मुंबई को सूचनाार्थ।

: उप मु.वि.इंजी(परिचालन./सी.एम.टी मुंबई को सूचनाार्थ।


: व.म.म.अधिकारी नागपुर को सूचनाार्थ।

:सभी मुख्य कर्मी नियंत्रक समस्त रनिंग कर्मचारी को सूचित कर पावती है।

: मुख्य लोको निरीक्षक : नामित लोको पायलटों को काउन्सलिंग कर पावती हेतु।

वा प्र.के/अजनी प्रशिक्षण में शामिल करने हेतु।

मु.क.लो.नि नागपुर को सूचनाार्थ

  
/ व.मं.वि.इंजी./टी.आर.ओ./नागपुर